

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1669]

नई दिल्ली, बधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 1669] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

का.आ. 1867(अ).— केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त:-

(1) श्री सुरभि भूम राव,

- अध्यक्ष

प्लॉट सं. 9, मैनी एन्कलेव,

जे जे नगर, यपराल,

सिकंदराबाद, तेलंगाना

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ख) के अधीन नियुक्त:-

(2) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

सदस्य-पदेन

श्रम और रोजगार मंत्रालय,

श्रम शक्ति भवन.

रफी मार्ग, नई दिल्ली

2679 GI/19 (1)

2	THE GAZETTE OF INDIA	: EXTRAORDINARY	[PA
उक्त उ	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नि	यम के नियम 3 के खंड (ग) के अधं	गेन नियुक्त:-
(3)	महानिदेशक (श्रम कल्याण)	- सदस्य	
	श्रम और रोजगार मंत्रालय,		
	जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली-110011		
(4)	उप सचिव	- सदस्य	
	महिला कल्याण विभाग		
	महिला और बाल विकास मंत्रालय,		
	ए विंग, कमरा संख्या 632		
	छठा तल, शास्त्री भवन		
	नई दिल्ली-110001		
(5)	रिक्त	- सदस्य	
उक्त ३	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नि	राम के निराम 3 के खंड (घ) के अध	गिन नियक्तः-
(6)	कार्यपालक निदेशक, (औद्योगिक संबंध),	- सदस्य	1111113111
(-)			
	रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड )		
(7)	नई दिल्ली-110001	- सदस्य	
(1)	कार्यपालक निदेशक,	- राषस्य	
	सिविल इंजीनियरिंग (साधारण),		
	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),		
	नई दिल्ली-110001		
	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नि	यम के नियम 3 के खंड (ड.) के अध	ग्रीन नियुक्त∶-
(8)	निदेशक (कार्मिक और औद्योगिकी संबंध),	- सदस्य	
	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रेमिस नॉ 4,		
	ऍम ए आर, प्लाट संख्या –ए एफ- III, एक्शन एरिया – 1 ए, , राजरहट ,कोलकाता-700156	, न्यू टाउन	
(9)	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक और प्रशासन),	- सदस्य	
	स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,		
	इस्पात भवन, लोधी रोड़,		
	नई दिल्ली-110003		
(10)	अध्यक्ष,	- सदस्य	
	बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (दिल्ली केन्द्र)		

बी-001, 'वाई शेप' भवन,

नई दिल्ली-110002

(11)अधीक्षण इंजीनियर(प्रौद्योगिकी विधि सेल), - सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन नई दिल्ली-110011 श्री बी.के.भाटिया (12)- सदस्य संयुक्त महासचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (फीमी), फीमी हाउस, बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस -1, नई दिल्ली-110020 उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन नियुक्त:-श्री आशीष बिस्वास (13)- सदस्य संयुक्त महासचिव, पूर्वोत्तर फ्रंटीयर रेलवे मजदूर यूनियन, सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति हिन्द मजदूर सभा, एल /68, पुरानी कॉलोनी, पोस्ट बोंगैगांव-783 380 (असम) श्री बी सी शर्मा (14)- सदस्य सह महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एन एफ आई आर) 17-बी, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110 055 (15)श्री के एन उमेश, - सदस्य सचिव एवं सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सीटू कर्नाटक राज्य समिति, ज्योति बसु भवन, 20 डब्लू ए टी स्ट्रीट, बसवानागुडी, बंगलूरू, कर्नाटक – 560004 (16)श्री ब्रिज बिहारी शर्मा, - सदस्य भारतीय मजदूर संघ, बुदिदिहा, सीटीपीएस मार्ग, दुगदा, जिला बोकारो, झारखंड श्री शिव कुमार यादव, (17)- सदस्य अध्यक्ष.

कोयला श्रमिक सभा, डब्लू सी एल हेडक्वार्टर,

सिवल लाइन्स, कोल एस्टेट, नागपुर

(18) श्री सुरेन्द्र कुमार पांडे, - सदस्य
क्वार्टर नंबर - 107, पोस्ट ऑफिस - विश्रामपुर
कोलियरी, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर, छतीसगढ़
(19) श्री रामेंद्र कुमार, - सदस्य
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस,
भारतीय खान कर्मकार परिसंघ,
सी/ओ युनाइटेड वर्क्स यूनियन, बुध बाजार,
डाकघर भुरकुंडा-825301
जिला हजारीबाग,

[फा. सं. यू-23013/02/2019-एल.डब्ल्यू]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May 2019

**S.O. 1867(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby appoints the following persons as members to the Central Advisory Contract Labour Board, except as provided otherwise, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (a) of rule 3 of the said rules:

(1) Shri Surabhi Bhoom Rao,

— Chairman

Plot No.9, Mani Enclave,

J J Nagar, Yapral,

झारखंड

Secunderabad, Telangana

Appointed under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (b) of rule 3 of the said rules:

(2) The Chief Labour Commissioner (Central)

-Member, ex-officio

Ministry of Labour and Employment,

Shram Shakti Bhavan,

Rafi Marg, New Delhi

Appo	inted under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and cla	use (c) of rule 3 of the said rules:
(3) T	he Director General (Labour Welfare)	—Member
N	Ministry of Labour and Employment,	
J	aisalmer House, New Delhi-110011	
(4) T	The Deputy Secretary	—Member
	Women Welfare Division	
	Ministry of Women and Child Development	
	A Wing, Room No.632	
	6 <sup>th</sup> Floor, Shastri Bhawan	
	New Delhi-110001	
(5) V	Vacant	—Member
Appo rules	ointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under cl :	lause (d) of rule 3 of the said
(6) Tl	ne Executive Director (Industrial Relation),	—Member
N	Ministry of Railways (Railway Board),	
N	New Delhi - 110001	
(7) Tl	ne Executive Director,	
C	ivil Engineering, (General)	
N	Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi	—Member
Appo	ointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under :	clause (e) of rule 3 of the said
(8)	The Director (Personnel & Industrial Relations),	—Member
(	Coal India Limited, Coal Bhawan, Premise No. 04,	
]	MAR, Plot No AF-III, Action Area – 1A, New Town,	
]	Rajarhat, Kolkata – 700156	
(9)	The Executive Director (Personnel and Administration),	—Member
	Steel Authority of India Limited,	
	Ispat Bhavan, Lodi Road,	
	New Delhi-110003	
(10)	The Chairman,	—Member
	Builder Association of India (Delhi Centre)	
	B-001, 'Y' Shape Building, New Delhi- 110002.	
(11)	The Superintending Engineer (TLC),	—Member
	Central Public Work Department, Nirman Bhawan,	
	New Delhi-110011	
(12)	Shri B.K.Bhatia	—Member
	Joint Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)	
	FIMI House, B-311, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020	

Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under clause (f) of rule 3 of the said rules:			
(13) Shri Ashish Biswas	—Member		
Joint General Secretary			
Northeast Frontier Railway Mazdoor Union,			
Member, National Working Committee, Hind Mazdoor Sabha,			
L/68, Old Colony, P.O- Bongaigaon-783 380 (Assam)			
(14) Shri B.C. Sharma	—Member		
Joint General Secretary,			
National Federation of Indian Railwaymen (NFIR)			
17-B, Chelmsford Road, New Delhi – 110 055			
(15) Shri K. N. Umesh	—Member		
National Working Committee Member & Secretary,			
Karnataka State Committee of CITU, Jyothi Basu Bhawana,			
20 WAT Street, Basavanagudi, Bengaluru, Karnataka 560 004			
(16) Shri Brij Behari Sharma,	—Member		
Bharatiya Mazdoor Sangh, Budidiha,			
CTPS Road, Dugda, District Boakro,			
Jharkhand			
(17) Shri Shivkumar Yadav	—Member		
President,			
Koyala Shramik Sabha,			
WCL Headquarter, Civil Lines, Coal Estate Nagpur			
(18) Sri Surendra Kumar Pandey	—Member		
Quarter No.107, PO- Vishrampur Koliyari,			
District Surajpur, Chhatishgarh			
(19) Shri Ramendra Kumar,	—Member		
President,			
All India Trade Union Congress,			
Indian Mine Workers Federation,			
C/o United Works' Unions, Budh Bazar,			
P.O. Bhurkunda-825301			
District-Hazaribagh, Jharkhand			
	[F. No. U-23013/02/2019-L.W.]		

AJAY TEWARI, Jt. Secy.